राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(73)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/बीपीएल काउण्टर स्टाफ/10/1032 दिनांक :23 May, 2012

स्वीकृति आदेश

वित्तीय वर्ष 2012–13 में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत बीपीएल काउण्टर पर निम्नलिखित संविदाकर्मियों को नवीन अनुबंध की शर्त पर लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

क्र. सं.	अस्पतालों का विवरण	अस्पतालों की संख्या	संविदाकर्मियो का विवरण व संख्या			
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	फार्मासिस्ट	लेखाकर्मी	योग
1	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	1	9	6	2	17
2	मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय	26	@6 156	@2 52	@1 26	234
3	जिला चिकित्सालय	34	@5 170	@1 34	@1 34	238
4	उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय	17	@3 51	-	-	51
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	376	@1 376	-	-	376
	कुल	454	762	92	62	916

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के तहत प्रदान की जाती है –

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर Existing Man Power को दिनांक 31.03.2013 तक अनुबंध (Contract) पर रखा जावे। किसी नये व्यक्ति को Engaged नहीं किया जावे। प्रतिमाह मानदेय की राशि इस विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक 3966 दिनांक 10.09.2009 के अनुसार दी जावेगी ।
2. फार्मासिस्ट संविदा कार्मिकों को प्रतिमाह मानदेय की राशि इस विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक 3966, दिनांक 10.09.2009 के अनुसार दी जावेगी।
3. संविदा लेखाकर्मियों (सेवानिवृत्त कर्मचारी) को कार्मिक विभाग, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जावेगा।
4. इन संविदा कार्मिकों को देय मासिक पारिश्रमिक की राशि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत वहन की जावेगी।
5. फार्मासिस्ट एवं लेखाकर्मी के संविदा आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत कार्मिको की संविदा अवधि अधिकतम 6 माह तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक बढ़ाई जाती है।
6. जिन चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के विरूद्व संविदा कर्मियों के पद खाली है अथवा पद नये स्वीकृत किये गये है उन चिकित्सा संस्थानों को वित्त विभाग के परिपत्र प.–1(4) वित्त/नियम/2011 दिनांक 17.06.2011 के अनुसरण में सविदा कर्मिकों की सेवा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। Existing संविदाकर्मी यदि वर्ष 2012–13 के मध्य में सेवा छोड़ देता है तो उसके रिक्त पद को भी वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2011 के शर्तो अनुसार भरा जावे।

23/5/12

उपरोक्त संविदा कार्मिकों की स्वीकृति आदेश उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग के आईडी क्रमांक 101200917, दिनांक 30.03.2012 एवं 101201542 दिनांक 11.05.2012 के क्रम में जारी किये जाते हैं।

मिशन निदेशक सह विशिष्ठ शासन सचिव
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीया संसदीय सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, मिशन निदेशक सह विशिष्ठि शासन सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव (व्यय), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
14. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
15. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
16. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, राजस्थान।
17. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम/एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
19. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
20. विशेषाधिकारी/संयुक्त सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
22. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. संयुक्त निदेशक, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
25. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
26. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
27. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालय, राजस्थान।
28. समस्त ब्लॉक सीएमएचओ/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
29. सलाहकार – एचआरडी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
30. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भेजकर लेख है कि स्वीकृति आदेश की प्रति संबंधित जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को तथा सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालयों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावें।
31. ईन्चार्ज सर्वर रुम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई–मेल करवाने का श्रम करावें।
32. रक्षित पत्रावली।

23/5/12
परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष

120

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

कमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 जयपुर,दिनांक 17 JUN 2011

: परिपत्र :

विषयः– वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक, कम्प्यूटर मय ऑपरेटर तथा एजेन्सी के माध्यम से संविदा सेवाएं लिए जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के कियान्वयन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो और राजकीय कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है : –

1. कार्मिक विभाग के ज्ञापन संख्या प.17(10)कार्मिक/ए–II/94 दिनांक 31.10.1995 एवं समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पर सेवाएं ली जा सकेंगी।
2. राजकीय विभागों में सैनिक कल्याण विभाग के परिपत्र प. 8 (1) सै.क./2003–31 दिनांक 17.04.2008 के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा प्रहरी, सुपरवाइजर, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, लिपिक, वाहन चालक, प्लम्बर, पैंटर, कारपेन्टर, वेल्डर, ब्लेकस्मिथ की सेवाएं निर्धारित शर्तों एवं पारिश्रमिक दरों पर ली जा सकेंगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समितियों से केवल भूतपूर्व सैनिकों की ही सेवाएं ली जा सकेंगी।
3. राजकीय विभागों में कम्प्यूटर किराए पर लिए जाने के सम्बन्ध में वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.9(1)वित्त–1(1) बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 की शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं केवल एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर ली जा सकेंगी। व्यक्तिगत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं नहीं ली जा सकेंगी।
4. (i) परियोजनाओं (**Projects**) हेतु यथा संभव विभिन्न विभागों से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जा सकता है। परियोजनाओं के पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कार्मिकों से भरने हेतु संबंधित विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जावे, ताकि वांछित योग्यताधारी कार्मिक उपलब्ध हो सकें।

   (ii) यदि परियोजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु उक्त बिन्दु संख्या (i) के अन्तर्गत कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से **Job basis** पर कार्य कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत (**Individual**) अथवा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से व्यक्तियों की सेवाएं अनुबन्धित नहीं की जा सकेंगी।

(सी.के.मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियों सहित)।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर (मय 100 प्रतियाँ उप कोषाधिकारियों के लिए)।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
13. विधि रचना संगठन अंग्रेजी अनुवाद के लिए।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर, 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित (अधीनस्थ विधायन समितियों के लिए)।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(पी.एन. शर्मा)
विशेषाधिकारी

(आर.एस.आर.-18 /2011)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-II)

No. F.17(10)DOP/A-II/94

Jaipur dated-08-7-2011

AMENDMENT

In supersession of this department amendment of even number dated 28-8-09 Condition No. (5) shall be substituted by the following :-

(5) The consolidated emoluments for retired contract employments shall be determined in the following manner:

S.No.	**Officials retiring in the pay scale** Pay band+grade pay in RCS(RP) Rules, 2008	contractual Amount per month (in rupees)
1.	4750-7440+GP 1300	3400
2.	4750-7440+GP 1400	
3.	4750-7440+GP 1650	
4.	5200-20200+GP 1800	
5.	5200-20200+GP 1850	
6.	5200-20200+GP 1900	4500
7.	5200-20200+GP 2000	
8.	5200-20200+GP 2100	
9.	5200-20200+GP 2400	
9A	5200-20200+GP 2800	
10	9300-34800+GP 3200	6000
11	9300-34800+GP 3600	
12	9300-34800+GP 4200	8150
12A	9300-34800+GP 4800	8450
13	9300-34800+GP 5400	11250
13New	15600-39100+GP 5400	11250
14	15600-39100+GP 6000	13150
15	15600-39100+GP 6600	15000
16	15600-39100+GP 6800	15650
17	15600-39100+GP 7200	16250
18	15600-39100+GP 7600	17500
19	15600-39100+GP 8200	18750
20	37400-67000+GP 8700	20000
21	37400-67000+GP 8900	21250
22	37400-67000+GP 10000	22500

This issues with the concurrence of Finance(Rules) Department vide their I.D. No. 221100902 dated 06-07-2011.

By Order and in the name of the Governor

(Nalini Kathotia)
Deputy Secretary to the Government

Copy forwarded to :-

1. Principal Secretaries to the Govemor/Chief Minister.
2. All Addl. Chief Secretary/ Principal Secretaries / Secretaries / Spl. Secretaries / Dupty Secretary to Chief Secretary.
3. Deputy Secretary, Department of Personnel (B-I).
4. All Divisional Commissioner, Jaipur / Jodhpur/ Bikaner / Kota / Udaipur / Ajmer/ Bharatpur.
5. Head of the Department (Including Collectors)
6. All Sections / Groups of the Secretariat.
7. Vidhi Rachna Sangthan for Hindi Translation, with two spare copies.
8. Guard file.

Deputy Secretary to the Government

Copy also forwarded to :-

1. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
2. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.
4. Registrar, Rajasthan High Court, Jaipur / Jodhpur.
5. Registrar, Rajasthan Civil Service Appeallate Tribunal, Jaipur.

Deputy Secretary to the Government

31/2011